

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(प्रूप-3)

क्रमांक प.6(57)/प्र.सु./अनु.3/2004(3)/

जयपुर, दिनांक 21.9.2010

आज्ञा


इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.10.2004 एवं 15.02.2007 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार व ई-गवर्नेंस क्षेत्र के लिये गठित राज्य ई-प्रशासन लक्ष्य दल (State e-Governance Mission Team) के निम्नानुसार पुर्नगठन की स्वीकृति राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदान की जाती है:-

1.	प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, (वित्त) अथवा मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
3.	संबंधित विभागों / उपक्रमों / बोर्ड / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / मंडल आदि के प्रमुख शासन सचिव / सचिव	सदस्य
4.	शासन सचिव, योजना	सदस्य
5.	संबंधित विभागों / उपक्रमों / बोर्ड / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / मंडल आदि के विभागाध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रशासक	सदस्य
6.	प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से मनोनीत प्रमुख तकनीकी संस्थाओं, तकनीकी के दो विशेषज्ञ (जैसे IIT, BITS, Pilani, LNMIIT etc.)	विशेष आमंत्रित
7.	राज्य सूचना अधिकारी (State Informatics Officer), नेशनल इनफार्मेटिक सेन्टर (एन.आई.सी)	सदस्य
8.	निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	सदस्य सचिव

पूर्व में जारी आदेश में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त राज्य ई-प्रशासन लक्ष्य दल (State e-Governance Mission Team) निम्नलिखित कार्य भी सम्पादित करेगी:-

1. मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को अनुमति देना
2. सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को बनाने में विभिन्न विभागों / उपक्रमों / बोर्ड / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / मंडल को सहायता उपलब्ध कराना
3. शीर्षस्थ समिति के लिए तकनीकी सचिवालय के रूप में कार्य करना
4. सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए सामर्थ्य विकसित योजनाओं का कियान्वयन
5. प्रापण एवं अनुबन्ध प्रबन्धन
6. वित्तीय प्रबन्धन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना

राज्य ई-प्रशासन लक्ष्य दल का प्रशासनिक विभाग सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग होगा।

आज्ञा से,

उपशासन सचिव 21.9.10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. समस्त प्रमुख शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
5. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. सचिव, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, नई दिल्ली
7. समस्त रांभागीय आयुक्त
8. समस्त शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
9. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान, जयपुर
10. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान
11. उपशासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. समस्त उपक्रमों/बोर्ड/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/मंडल आदि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
13. उपशासन सचिव, वित्त (व्यय-I, II, III एवं IV)
14. राज्य सूचना अधिकारी (State Informatics Officer), नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी), राजस्थान, जयपुर
15. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियों संबंधित सदस्यों हेतु प्रेषित है।
16. शक्ति पत्रावली


अनुभागाधिकारी